

# मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना

(मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग)

## असंगठित मजदूर के रूप में पंजीयन के लिये आवेदन पत्र

(म. प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत)

1. आवेदक का समग्र आई.डी.

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

2. आवेदक का नाम

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

3. पिता/पति का नाम

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

4. जन्म दिनांक

|                      |   |                      |   |                      |                      |                      |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|

5. आधार नम्बर (यदि हो तो)

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

6. मोबाइल नम्बर (यदि हो तो)

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

- (i) मैं असंगठित क्षेत्र में नियोजित हूँ तथा म. प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीयन की पात्रता रखता हूँ।
- (ii) मैं किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा भविष्य निधि आदि प्राप्त हो रहे हों।
- (iii) मैं आयकर दाता नहीं हूँ।
- (iv) मेरे पास एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है।

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के नियोजन के संबंध में अनुशंसाकर्ता अधिकारी द्वारा निम्न जानकारी भरी जानी चाहिए, यदि आवेदक विगत एक वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजनों में कार्यरत रहा है तो उन समस्त नियोजनों की जानकारी भरी जानी चाहिए ।

| क्र. | नियोजन का प्रकार   | टिक करें | कार्य दिवस |
|------|--|----------|------------|
| 1    | कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित है उद्योगिकी तथा कृषि प्रसंस्करण.  |          |            |
| 2    | दुर्घट-उद्योग (डेरी), मुर्गीपालन, मुअरपालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन.  |          |            |
| 3    | मछलीपालन में नियोजन.   |          |            |
| 4    | वानिकी में नियोजन जिसमें सम्मिलित है मुख्य तथा गौण वन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित क्रियाकलाप.   |          |            |
| 5    | रेशम-उत्पादन में नियोजन.   |          |            |
| 6    | लेटराइट, गोलाशम, मृत्तिका का निकाला जाना, भवन का पत्थर, सड़क की गिड़ी, बजरी, मुरम, रेत तथा मिट्टी खदान क्रिया तथा उत्खनन में नियोजन.   |          |            |
| 7    | पत्थर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन.   |          |            |
| 8    | पकी ईंट तथा टाइल बनाने में नियोजन.   |          |            |
| 9    | (क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाना या आंडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना, एवं (ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार, में लदाई-उतराई, ढेर लगाने (स्टॉकिंग), पैकिंग करने, वहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संसक्त कार्य शामिल हैं, में नियोजन. |          |            |
| 10   | सार्वजनिक परिवहन यानों में माल की लदाई या उनसे माल की उतराई से संबंधित तथा कोई अन्य आनुषंगिक या संसक्त प्रचालन में नियोजन.   |          |            |
| 11   | गोदाम में खाद्यान की लदाई, उतराई तथा वहन करना खाद्यानों की छटाई तथा सफाई, खाद्यानों का बोरों में अरना, ऐसे बोरों की सिलाई करना तथा उससे आनुषंगिक तथा संसक्त अन्य कार्य में, के संबंध में नियोजन.   |          |            |
| 12   | खादी, हथकरघा (हैंडलूम) तथा पावरलूम उदयोग में नियोजन.   |          |            |
| 13   | कपड़े का विरंजित करना (ब्लीचिंग) रंगाई तथा छपाई में नियोजन.  |          |            |
| 14   | सिलाई में नियोजन.  |          |            |
| 15   | सुगन्धित तीलियां (अग्रबत्ती) के बनाने में नियोजन.  |          |            |
| 16   | कढाई, स्मॉकिंग तथा तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स) बनाने में नियोजन  |          |            |
| 17   | पापड़, अचार, जैम्स, जेली, अन्य परिषिकित खाद्य पदार्थ, पिसे मसाले तथा वासक बनाने में नियोजन.  |          |            |
| 18   | खाना बनाने में नियोजन.   |          |            |
| 19   | खिलौने बनाने में नियोजन.   |          |            |
| 20   | चमड़े के शोधन तथा प्रसंस्करण में नियोजन.   |          |            |
| 21   | जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन.   |          |            |
| 22   | सफाई तथा झाड़-बहार सेवाओं में नियोजन.  |          |            |
| 23   | ऐग-पिकिंग में नियोजन.  |          |            |
| 24   | दरवाजे-दरवाजे (द्वार-द्वार पर) पुराने समाचार-पत्रों (रद्दी) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्त वस्तुएं (कबाड़ी) में नियोजन.  |          |            |
| 25   | बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ग में केरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट वेण्डर) के रूप में नियोजन.  |          |            |
| 26   | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) में यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार  |          |            |
| 27   | साइकिल-रिक्षा, आटो-रिक्षा तथा टैक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो “मोटर परिवहन कर्मकार” की श्रेणी में नहीं आता.   |          |            |
| 28   | आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजन.   |          |            |
| 29   | प्रायवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन.  |          |            |
| 30   | प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन.   |          |            |
| 31   | लकड़ी का काम करने की इकाइयों में नियोजन.   |          |            |
| 32   | बर्टन बनाने में नियोजन.  |          |            |
| 33   | कारोगर (शिल्पी) जैसे लुहार, बढ़ई, गरा बनाने, चाक बनाने (कुन्हार) आदि में नियोजन.   |          |            |
| 34   | दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन.   |          |            |
| 35   | आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में नियोजन.  |          |            |
| 36   | ठब्बे तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन.   |          |            |

अनुशंसा करने वाले पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी एवं अन्य कर्मचारी का

नाम.....

मोबाइल नं.....

हस्ताक्षर.....